माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–16.07.2026 को अपराह्न 04.00 बजे VC के माध्यम से अपर समाहर्त्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं/अंचलाधिकारियों की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–16.07.2026 को राज्यस्तरीय अपर समाहर्त्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं/अंचलाधिकारियों की बैठक का आयोजन VC के माध्यम से किया गया। जिसमें विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।

2. सर्वप्रथम सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को बताया गया कि विगत दिनों अंचलाधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया, उक्त परिप्रेक्ष्य में राजस्व संबंधी कार्यो एवं ऑनलाइन सेवाओं के त्वरित गति से निष्पादन किये जाने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गयी हैं।

सचिव द्वारा बैठक में ऑनलाइन सेवाओं के उपलब्धि के संबंध में जिलावार समीक्षा करते हुए जिलों की प्रगति की अद्यतन वस्तु स्थिति से उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवतः है –

(1.) **Mutation Defect** – समीक्षा के क्रम में पी0पी0टी0 के माध्यम से उपस्थित पदाधिकारियों को बताया गया कि Mutation Defect check के लंबित मामलें 05 जिलें यथा–गया, जहानाबाद, भोजपुर, लखीसराय एवं बक्सर जिलें में काफी ज्यादा है, जबकि गोपालगंज, मधुबनी, बेगूसराय, अरवल एवं समस्तीपुर में काफी कम है।

Mutation Defect check में निष्पादित किये जाने वाली औसत दिनों की संख्या सबसे ज्यादा मधेपुरा, कटिहार, सहरसा, रोहतास एवं नवादा जिलों में है, जबकि शेखपुरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी एवं दरभंगा प्रथम 05 पर है।

इसी प्रकार ऑनलाइन दाखिल–खारिज में वर्ष 2026–27 में ऑनलाइन दाखिल–खारिज में अस्वीकृति प्रतिशत के मामलों में लखीसराय, मधेपुरा, वैशाली, सहरसा एवं गया जिलें Bottom 5 में पाये गये है, जबकि पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद, रोहतास, अरवल एवं नवादा जिलें का अस्वीकृति प्रतिशत काफी कम पाया गया है।

(2). **Digitized Jamabandi** – 2026–27 में निष्पादन प्रतिशत के मामलों में Top 05 में किशनगंज, दरभंगा, अरवल, कैमूर एवं सारण जिलें है, जबकि Bottom 5 में पूर्णिया, जहानाबाद, सुपौल एवं रोहतास जिलों को स्थान मिला हैं।

(3). **Parimarjan Plus (Left out Jamabandi)** – 2026–27 में निष्पादन के प्रतिशत के मामलें में Top 05 में किशनगंज, शेखपुरा, दरभंगा, सारण एवं खगड़िया जिलें है, जबकि Bottom 5 में जहानाबाद मधेपुरा, पटना, रोहतास एवं गया जिलों को स्थान मिला हैं।

(4.) **E-Mapi**– Top 05 में शेखपुरा, पूर्वी चम्पारण, किशनगंज, नालंदा एवं मधुबनी जिलें है, जबकि Bottom 5 में मुंगेर, रोहतास, भागलपुर पटना एवं भोजपुर जिलों को स्थान मिला हैं।

(5.) **Abhiyan Basera–2**- Top 05 में खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा, बांका एवं भोजपुर जिलें है, जबकि Bottom 5 में वैशाली, अररिया, मधेपुरा, भागलपुर एवं सहरसा जिलों को स्थान मिला हैं।

(6.) **Rajasw Maha Abhiyan**- Top 05 में सीतामढ़ी, वैशाली, सहरसा, कैमूर एवं नालंदा जिलें है, जबकि Bottom 5 में पटना, मुंगेर, औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण एंव नवादा जिलों को स्थान मिला हैं।

(7.) **CO RCMS Land Encroachment-** Top 05 में शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, बांका एवं मुंगेर जिलें है, जबकि Bottom 5 में रोहतास, किशनगंज, वैशाली, भोजपुर एंव गया जिलों को स्थान मिला हैं।

(8.) **DCLR RCMS BLDRA-** Top 05 में पटना (पालीगंज), दरभंगा (दरभंगा), सारण (मढ़ौरा), सीतामढ़ी (बेलसंड) एंव गया (गया) जिलें है, जबकि Bottom 5 में मधेपुरा (मधेपुरा, उदाकिशनगंज), बेगूसराय (मंझौल), अररिया (फारविसगंज) एवं मधुबनी (जयनगर) जिलों को स्थान मिला हैं।

(9.) **DCLR RCMS Mutation Appeal-** Top 05 में सीतामढ़ी (बेलसंड), पटना (पालीगंज),पूर्वी चम्पारण (चकिया), मधुबनी (जयनगर) एवं भोजपुर (पीरो) जिलें है, जबकि Bottom 5 में कटिहार (बारसोई, कटिहार), अररिया (फारविसगंज), पूर्णिया (पूर्णिया) एवं मुजफ्फरपुर जिलों को स्थान मिला हैं।

(10.) **ADM RCMS- Mutation Revision-** Top 05 में अपर समाहर्त्ता, शेखुपरा, अपर समाहर्त्ता, दरभंगा, अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा, अपर समाहर्त्ता, अरवल एवं अपर समाहर्त्ता, बांका है, जबकि Bottom 5 में अपर समाहर्त्ता, सिवान अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय, अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, अपर समाहर्त्ता, सारण एवं अपर समाहर्त्ता, सहरसा जिलों को स्थान मिला हैं।

3. जिलों के प्रगति से अवगत कराते हुए सचिव द्वारा बैठक में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों को ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित सभी मामलों का त्वरित गति से निष्पादन करते हुए अपने रैंक में सुधार लाने का निदेश दिया गया।

अभियान बसेरा के अन्तर्गत आगामी 15 अगस्त 2026 तक 30000 वास विहीन लोगों को पर्चा निर्गत के लक्ष्य को पूर्ण किये जाने हेतु ससमय अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया।

RCMS के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में BLDR के तहत संचालित वादों के समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा मामले के निष्पादन में काफ़ी, समय लगाया जा रहा है, जबकि प्रस्तुत मामलों का निष्पादन 03 माह के अन्दर किया जाना है। इस हेतु ससमंय मामलें निष्पादन किये जाने का निदेश सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को दिया गया।

बैठक के अन्त में माननीय विभागीय मंत्री द्वारा बैठक में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए निदेश दिया गया कि सभी स्थानांतरित अंचलाधिकारी अपना डोगल तुरन्त Activate कर लेंगें। उपस्थित पदाधिकारियों को बताया गया कि राजस्व कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण से राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता आयेगी। साथ ही सरकारी भूमि का अतिक्रमण के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करते हुए उसे रोक सूची में डाले जाने की कार्रवाई संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा की जायेगी। माननीय मंत्री द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को पुनः स्पष्ट करते हुए बताया गया कि ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा पुनः 20 दिनों बाद 06 अगस्त 2026 को की जायेगी।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

29/7/26

(जंय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक– 10/सम0/(बैठक VC)–13/2023...1025...(10)/रा0, दिनांक–30/7/26

E-mail

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार/सभी अंचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7.26

(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक– 10/सम0/(बैठक VC)–13/2023....1025 (10)/रा0, दिनांक–30/7/26

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक– 10/सम0/(बैठक VC)–13/2023....1025 (10)/रा0, दिनांक–30/7/26

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव (विभागाध्यक्ष) के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आशुलिपिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।